(15)

पत्रांक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली ।

सेवा में,

प्रबन्धक
बालिका विद्यामंदिर- सेमरीकोटी (सुपरमार्केट), रायबरेली।

पत्रांक/ शि0स0/मान्यता/655-661/2000-2001 दिनांक: 29-6-2000

विषय: अणासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस(7)/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ष की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे ।

(1) प्रधानाध्यापक - एक पद
(2) सहायक अध्यापक - चार पद
(3) लिपिक - एक पद
(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय,

29.6.2000

(डा0 उत्तम गुलाटी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली ।

[illegible] मान्यता/ [illegible] /2000-2001 दिनांक [illegible]

[illegible] अधिकारियों को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :-

[illegible] शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
[illegible] बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद ।
[illegible] शिक्षा निदेशक [illegible] लखनऊ ।
[illegible] सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) [illegible] लखनऊ ।
[illegible] अधिकारी, रायबरेली ।
[illegible] शिक्षा अधिकारी, रायबरेली ।
[illegible] रायबरेली

(डा0 उत्तम गुलाटी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी